



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175220

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3877 / 2026

महेंद्र उर्फ देवा और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

सुधांशु प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य- प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका, कानपुर देहात जिले के अकबरपुर पुलिस थाना में धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामले संख्या 358/2025 में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह घटना अचानक और बिना किसी पूर्वचिंता के घटी थी। संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 2 और सूचनादाता (मृतक) का भाई दोनों शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। अपीलार्थी ने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया। उन सभी ने मिलकर सूचनादाता के भाई पर ईंटों और पत्थरों से बेरहमी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों, प्रधान सिंह और सोनपाल के बयान के अनुसार, उन्होंने अपीलार्थी संख्या 2 को देखा था। अपीलार्थी संख्या 2 और मृतक, दोनों शराब के नशे में धुत होकर आपस में लड़ रहे थे और एक-दूसरे पर ईंटें फेंक रहे थे। दोनों नियमित रूप से शराब पीते थे और शराब पीने के बाद अक्सर झगड़ा करते थे। उस दिन भी, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हमेशा की तरह, वे आपस में लड़ रहे थे और चोटें लगने के बाद खून से लथपथ होकर जमीन पर बेहोश हो गए। इसी दौरान, अपीलार्थी संख्या 1 खेत से लौट रहा था। अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक को दो-तीन बार लात मारी। इस कथित घटना में अपीलार्थी संख्या 2 को भी चोटें आईं। कथित घटना के हमलावर की पहचान अभी बाकी है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को न तो कथित अपराध करने का आवश्यक ज्ञान था और न ही इरादा। इस स्तर पर अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास पहले पूरक हलफनामे के परिच्छेद 4 और 5 में बताया गया है। अपीलार्थी क्रमशः 14.08.2025 और 16.08.2025 से जेल में हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने *प्रथम दृष्टया* पाया है कि प्रत्यक्षदर्शियों, प्रधान सिंह और सोनपाल के बयान के अनुसार, उन्होंने अपीलार्थी संख्या 2 और मृतक को शराब के नशे में एक-दूसरे से लड़ते और ईंटें फेंकते देखा था। कथित घटना के हमलावर का अभी पता लगाया जाना बाकी है। इस स्तर पर अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी लगभग एक वर्ष से निरुद्ध हैं और आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई आशा नहीं है, और राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका प्रकट नहीं की गई है कि यदि अपीलार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे या विचारण में विलम्ब करेंगे या गवाह को डराएंगे-धमकाएंगे, अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं।

6. उपर्युक्त मामले में आरोपी महेंद्र उर्फ देवा और देवनाथ को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे:

(i) निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करें; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव न डालें।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

एसकेटी/-

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।